भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 276

सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018/10 पौष, 1940 (शक)

आउटसोर्स किए गये कामगारों का कल्याण

***276. श्री अजय निषाद:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रमों, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी विभागों तथा निजी कंपनियों के अनेक कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आउटसोर्सिंग कंपनियों में नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ सामाजिक सुरक्षा/श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मौजूद वर्तमान तंत्र क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आउटसोर्स किये गये कार्यों को करने में लगे कामगारों के लिये सेवा-शर्तों एवं कल्याणकारी योजनाओं की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये जा रहे कदम क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

आउटसोर्स किए गये कामगारों के कल्याण से संबंधित श्री अजय निषाद द्वारा दिनांक 31.12.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 276 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

****

(क) और (ख): केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में चाहे सरकारी प्रतिष्ठान हों अथवा निजी, अपनी संबंधित आवश्यकताओं के आधार पर जॉब्स/कार्य आउटसोर्स कर सकते हैं। सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (जीएफआर 2017) केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों को कतिपय सेवाएं आउटसोर्स करने की अनुमति देते हैं। चूंकि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग मौसमी अथवा अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपने-अपने स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए सक्षम हैं, अत: इस संबंध में केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ): मौजूदा श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत कल्याण संबंधी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र और राज्यों की अपनी-अपनी प्रवर्तन एजेंसियां हैं। केंद्रीय क्षेत्र में कामगारों की सेवा शर्तों और कल्याण की जांच करने हेतु एक सुस्थापित केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) विद्यमान है। मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) के नियंत्रणाधीन उपमुख्य श्रमायुक्तों (केंद्रीय) तथा क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केंद्रीय) का देशव्यापी नेटवर्क क्रेंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न लागू श्रम कानूनों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करता है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 932

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)

ईपीएफओ अंशदाताओं की संख्या

932. श्री अनिल शिरोले:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री जॉर्ज बेकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में ईपीएफओ अंशदाताओं की संख्या का महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उनकी विशिष्ट खाता संख्या को आधार, बैंक और मोबाइल संख्या के साथ जोड़ने की योजना बना रही है/विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): मार्च, 2018 माह के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित समस्त देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) के अंशदाताओं(अंशदायी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-क पर दी गई है।

(ख): आधार, बैंक खाता और मोबाइल संख्या के साथ जोड़ते हुए सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) का आबंटन अक्तूबर, 2014 में आरंभ किया गया था।

(ग): आदिनांक तक, 14.41 करोड़ यूएएन आबंटित किए जा चुके हैं तथा 5.5 करोड़ यूएएन आधार के साथ जोड़े गए हैं ताकि सदस्यों को कुशल ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(घ): यूएएन का आबंटन और आधार सहबद्धीकरण एक सतत प्रक्रिया है। ईपीएफओ के फील्ड कार्यालयों को अपने ग्राहक को जानें(केवाईसी) के विवरण में परिवर्तन के समर्थ बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा जागरूकता शिविर आदि आयोजित करके केवाईसी विवरण का अद्यतन करने में सदस्यों की सहायता करने के लिए कार्यालय के परिसर में सुविधा-केन्द्र मुहैया कराकर आधार सहबद्धीकरण को सुविधाजनक बनाने का निदेश दिया गया है।

* ****

अनुबंध क

श्री अनिल शिरोले, श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा और श्री जॉर्ज बेकर द्वारा "ईपीएफओ अंशदाता" के संबंध में दिनांक 17.12.2018 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 932 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 2018 में अंशदाता सदस्यों की संख्या (वेतन माह से असंबद्ध)
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	19605
2	आंध्र प्रदेश	1207742
3	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड एवं मेघालय सहित असम	385966
4	बिहार	430827
5	चंडीगढ़	419371
6	छत्तीसगढ़	481339
7	दिल्ली	2849458
8	गोवा	202841
9	दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव सहित गुजरात	3192660
10	हरियाणा	2371926
11	हिमाचल प्रदेश	351537
12	झारखण्ड	553110
13	कर्नाटक	5522336
14	केरल	1209445
15	मध्य प्रदेश	1186864
16	महाराष्ट्र	9488662
17	ओडिसा	965238
18	पंजाब	773244
19	राजस्थान	1162078
20	पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	5428916
21	तेलंगाना	2858600
22	त्रिपुरा	45282
23	उत्तर प्रदेश	2288566
24	उत्तराखण्ड	562917
25	सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	3177851
	कुल योग	47136381

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 967

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)

रोजगार की वृद्धि दर धीमी होना

967. श्रीमती एम. वसन्ती:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अब तक जारी नामाकन संख्या के एक वर्ष की श्रृंखला में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हाल में जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के सेट में से 12 महीनों में से दो की संख्या को संशोधित करके कम किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सितम्बर 2017 की नामांकन संख्या में 11.9 प्रतिशत कम करके जो कि 4.25 लाख है किया गया है जोकि सितम्बर में जारी पहली संख्या की तुलना में 26 प्रतिशत कम है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सितम्बर-जुलाई की संख्याओं को संशोधित कर 4.2 प्रतिशत बढ़ा दिया गया और इसे 64.27 लाख किया गया है जोकि पिछले महीने में जारी किया गया था और इसके 61.81 लाख होने का आकलन किया गया था, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि पिछले महीने की 9.76 लाख की संख्या की तुलना में अगस्त की नामांकन संख्या में कमी आई है सितम्बर-अगस्त के संचयी निवल नामांकन 73.21 लाख हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अप्रैल, 2018 से अपने वेबपोर्टल epfindia.gov.in के माध्यम से अपने अभिदाताओं के माह-वार अनंतिम निवल नामांकन आंकड़े प्रकाशित कर रहा है। ये आंकड़े सितम्बर, 2017 के बाद से जारी किए जा रहे हैं। ईपीएफओ द्वारा 20 नवंबर, 2018 को प्रकाशित अंतिम पे-रोल रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर, 2017 से सितम्बर, 2018 तक भविष्य निधि (पीएफ) के अभिदाताओं का निवल नया नामांकन 79,48,319 रहा है।

ये ईपीएफओ आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं द्वारा समय-समय पर दाखिल अभिदाताओं से संबंधित विवरणियों पर आधारित हैं। इस योजना में सतत रूप से विवरणियां दाखिल करने का प्रावधान है, और इसलिए ये आंकड़े दाखिल विवरणियों के आधार पर प्रति माह व्यवस्थित/संशोधित हो जाते हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 991

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)

कृषि कामगार

991. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से लेकर अब तक देश में निर्माण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में लगे कार्यबल और सही आंकड़ों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से लेकर अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने गैर-कृषिगत मजदूरी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा लाभों और लिखित संविदा संहित नियमित रोजगार तक पहुंच है और इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिनांक 14.7.2014 को अतारांकित प्रश्न संख्या 530 के उत्तर के संदर्भ में, राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित की गई अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा कार्य, प्रतिवेदनों और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और तत्पश्चात प्रारूपित की गयी रोजगार नीति के परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2014 से लेकर अब तक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अधिनियमित कानूनों, कार्यान्वित/किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) कृषि कामगारों के संबंध में इस मंत्रालय के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार निर्माण क्षेत्र के कामगारों से संबंधित आंकड़े (अनंतिम) अनुबंध में हैं।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयी समिति (आईएमसी) के दिनांक 15.03.2014 को गठन के पश्चात, नीति के लिए इनपुट हेतु समिति की बैठकें आयोजित की गयीं तथा मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों इत्यादि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ पराशर्म किए गए हैं। उक्त अंतरमंत्रालयी समिति की बैठकों के आयोजन में स्टेशनरी, चाय-नाश्ते इत्यादि पर खर्च हुआ है जो कि मंत्रालय के सामान्य कार्यालय

खर्चों का हिस्सा है तथा इस संबंध में अलग से विवरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सामान्यत: ऐसी बैठकों पर होने वाला खर्च दो हजार रुपए से पांच हजार रुपए के बीच होता है।

(घ) केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, रहने के लिए आवास, चिकित्सा सुविधाएं तथा संरक्षणात्मक वस्त्र इत्यादि का प्रावधान है। सरकार ने जीवन एवं अशक्तता छत्र, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण तथा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों में असंगठित कामगारों (प्रवासी कामगारों सहित) के कल्याण के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (आयुष्मान भारत) प्रारंभ की है जिसमें 10 करोड़ गरीब एवं असुरक्षित परिवार शामिल होंगे जिन्हें द्वितीय एवं तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल भर्ती के लिए 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की कवरेज उपलब्ध करायी जाएगी। ये योजनाएं भी पात्र प्रवासी कामगारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी। केंद्र सरकार ने 2017 में आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) की सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ जोड़ दिया है ताकि असंगठित श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और अशक्तता छत्र प्रदान किया जा सके। समेकित पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए है तथा स्वाभाविक मृत्यु होने पर 2 /- लाख रूपये तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 /- लाख रूपये का कवरेज देती है। ये समेकित योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लागू की जा रही हैं। समेकित योजनाओं के लिए 342 रुपये (330+12) का वार्षिक प्रीमियम अपेक्षित होगा। यह प्रीमियम 50:50 के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाएगा। इस मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सभी पात्र असंगठित कामगारों के प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि को कवर करने हेतु अपनी वित्तीय सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.83 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

* ****

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम , 1996 के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों की संख्या का राज्यवार विवरण

		30.09.2018 की स्थिति के अनुसार(अनंतिम)
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**बोर्ड में पंजीकृत कामगारों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	1,815,889
2	अरुणाचल प्रदेश	30,841
3	असम	143,574
4	बिहार	828,451
5	छत्तीसगढ़	1,574,790
6	गोवा	3,738
7	गुजरात	654,550
8	हरियाणा	763,373
9	हिमाचल प्रदेश	147,932
10	जम्मू और कश्मीर	342,295
11	झारखंड	796,146
12	कर्नाटक	1,542,432
13	केरल	1,491,300
14	मध्य प्रदेश	2,996,227
15	महाराष्ट्र	989,018
16	मणिपुर	118,332
17	मेघालय	24,032
18	मिजोरम	21,865
19	नागालैंड	11,912
20	ओडिशा	2,234,569
21	पंजाब	746,102
22	राजस्थान	2,049,258
23	सिक्किम	36,236
24	तमिलनाडु	2,853,544
25	तेलंगाना	1,175,531
26	त्रिपुरा	99,762
27	उत्तर प्रदेश	4,208,744
28	उत्तराखंड	232,627
29	पश्चिम बंगाल	3,101,362
30	दिल्ली	539,421
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	14,392
32	चंडीगढ़	19,813
33	दादरा और नागर हवेली	2,176
34	दमन और दीव	5,149
35	लक्षद्वीप	179
36	पुडुचेरी	41,224
	कुल	**31,656,786**

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 993

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)

श्रमिक कल्याण

993. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रमिक कल्याण हेतु सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न उपकरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों के लिए कोई प्रोत्साहक नीति बनाई है/बनाने का विचार कर रही है जो विशेषकर महिलाओं के संबंध में श्रम कानूनों का अनुपालन करते हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उक्त उपकर-प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अधिक प्रभावी नीति-आधरित प्रयास करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों का उपबंध किया गया है। उपर्युक्त कथित अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा सन्निर्माण की लागत के 1% की दर से उपकर लगाया और उसका संग्रह किया जाता है। राज्य भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम के अंतर्गत गठित अपने संबंधित राज्य भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के माध्यम से बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 22 के अनुसार उपकर निधि का उपयोग करते हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 30.09.2018 तक लगभग 45473.1 करोड़ रुपए का संग्रहण किया और 17591.592 करोड़ रुपए खर्च किए।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरूआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन का संवर्धन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2016-17 में की गई। इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार सभी पात्र नए कर्मचारियों को 01.04.2018 से सभी क्षेत्रों के लिए ईपीएस और ईपीएफ

में नियोक्ता का संपूर्ण अंशदान (12% या यथा अनुमत) का भुगतान कर रही है, और यह सभी क्षेत्रों के लिए अगले 3 वर्षों के लिए लागू है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत 30 जुलाई, 2018 तक 61.36 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए 76908 प्रतिष्ठानों को लाभ दिया गया है।

(ग) और (घ): निर्माण क्षेत्र में श्रम कल्याण उपकर नहीं लगता है। तथापि, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र के कामगारों सहित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ देने के लिए सरकार विभिन्न अधिनियमों और स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। संगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुख्यत: पांच केंद्रीय अधिनियमों नामत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के माध्यम से दी जाती है।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए केंद्रीय सरकार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 कार्यान्वित कर रही है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जीवन और अपंगता कवर, स्वास्थ्य तथा प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षा से संबंधित विषयों में कल्याणकारी स्कीमों का उपबंध किया गया है। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण मंत्रालय); राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); स्वास्थ्य एवं प्रसूति योजनाएं (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवरेज प्रदान करने के लिए हाल ही में, आम आदमी बीमा योजना(एएबीवाई) का विलय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) के साथ किया है। विलय की गई ये योजनाएं योजना के अनुसार अपंगता लाभ के अलावा 330/- रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का कवरेज तथा 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर 2 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती हैं। वार्षिक प्रीमियम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर साझा किया जाता है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग भारतीय जीवन बीमा निगम और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1004

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)

भविष्य निधि के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय

1004. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजीकृत सदस्यों और प्रतिष्ठानों की संख्या के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए क्या मापदंड विहित/निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का देश भर में और अधिक क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार चिन्हित/चयनित किए गए स्थलों की सूची क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के लिए कोई विहित/निर्धारित मापदण्ड नहीं हैं।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न के भाग (ख) के उपर्युक्त उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1025

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)

न्यूनतम पेंशन

1025. श्री राजू शेट्टी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को न्यूनतम पेंशन देने के लिए कोई उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र हेतु मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग): क्या ऐसे पेंशनरों को महंगाई भत्ता भी मिलता है; और

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के संबंध में दिनांक 01.09.2014 से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 योजना के पेंशनभोगियों को 1000/- रूपये की न्यूनतम पेंशन निर्धारित की गई है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) योजना के मामले में चयनित पेंशन प्लान के आधार पर एपीवाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु के पश्चात अपनी मृत्यु होने तक 1000/-रू. प्रतिमाह अथवा 2000/-रू. प्रतिमाह अथवा 3000/-रू. प्रतिमाह अथवा 4000/-रू. प्रतिमाह या 5000/-रू. प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटित पेंशन मिलेगी। यदि संचयन चरण के दौरान वास्तविक प्रतिफल न्यूनतम गारंटित पेंशन के अनुमानित प्रतिफल से अधिक है तो यह अधिक राशि को अभिदाता को दी जाएगी। इस प्रकार एपीवाई के अतंर्गत अभिदाता द्वारा चुने गए पेंशन प्लान के आधार पर न्यूनतम पेंशन नियत की जाती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की सीमा नियत नहीं है।

इसके अतिरिक्त ईपीएस, 1995 के संपूर्ण मूल्यांकन और इसकी समीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया गया है।

(ग) और (घ): ईपीएस, 1995 में महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह नियत अंशदान के साथ स्व-पोषित स्कीम है। इसके अलावा एनपीएस और एपीवाई के अंतर्गत महंगाई भत्ता लागू नहीं है क्योंकि इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत स्कीम को छोड़ते समय पेंशन संचित निधि पर आधारित रहती है जो बाजार संबद्ध होती है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1086
सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)

रोजगार सृजन

1086. श्री राजीव सातवः
श्री धनंजय महाडीकः
श्री पी॰ आर॰ सुन्दरमः
श्री मोहिते पाटिल विजय सिंह शंकररावः
श्री अभिषेक सिंहः
डॉ॰ जे॰ जयवर्धनः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की अग्रणी रोजगार सृजन योजना 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' (पीएमआरपीवाई) के तहत क्या लक्ष्य तय किए गए हैं और आज की तिथि तक, कितने लोगों को रोजगार मिला है;

(ख) पीएमआरपीवाई योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत अब तक क्या उद्देश्य, लक्ष्य और उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं

(ग) उक्त योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देशभर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु कितने उद्योगों/नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है और उक्त योजना के अंतर्गत उद्योग/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों को लाभ हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के जमीनी प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पीएमआरपीवाई के अंतर्गत भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान का पूरा भुगतान करेगी और यदि हां तो इसकी शुरुआत से लेकर अब तक योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने/सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): नए रोजगार के सृजन के लिए 09 अगस्त, 2016 को नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 01.04.2018 से सभी नए पात्र कर्मचारियों को तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा विद्यमान लाभार्थियों को उनकी शेष तीन वर्षों की अवधि के लिए ईपीएस एवं ईपीएफ दोनों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान ईपीएफओ के माध्यम से कर रही है। प्रतिष्ठानों के

माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 है। यह योजना 15,000/- रुपए प्रतिमाह कमाने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर, यह नियोक्ता को प्रतिष्ठान में कामगारों के नियोजन-आधार में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करती है वहीं दूसरी ओर, इससे बड़ी संख्या में कामगारों को ऐसे प्रतिष्ठानों में नौकरियां प्राप्त होंगी। इसका सीधा लाभ यह है कि इन कामगारों को संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध होंगे। 10.12.2018 की स्थिति के अनुसार लाभांवित कर्मचारियों, प्रतिष्ठानों की संख्या और संवितरित सब्सिडी की धनराशि क्रमशः 9245263, 115422 और 2910.79 करोड़ रुपए है। राज्य-वार लाभांवित कर्मचारियों, प्रतिष्ठानों की संख्या और संवितरित सब्सिडी की धनराशि अनुबंध-I में दी गई है।

नियोक्ताओं को सब्सिडी, नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ के पास इलेक्ट्रोनिक ढंग से फाइल की गई ईसीआर (इलेक्ट्रोनिक चालान-सह-रिटर्न) के आधार संवितरित की जाती है। इस लिए इस योजना का जमीनी प्रभाव प्रत्यक्ष एवं तत्काल होता है चूंकि इसकी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम से संचालित की जाती है।

(च): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करके और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-।

रोजगार सृजन के बारे में लोक सभा के दिनांक 17.12.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1086 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई पोर्टल के आरंभ से 10 दिसम्बर, 2018 तक विवरण

राज्य	01 अप्रैल, 2016 से 10 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान लाभांवित प्रतिष्ठानों की संख्या	01 अप्रैल, 2016 से 10 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान लाभांवित कर्मचारियों की संख्या	01 अप्रैल, 2016 से 10 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान संवितरित सब्सिडी की धनराशि (रुपए में)
आंध्र प्रदेश	**8225**	**734071**	**2157640160**
असम	**359**	**7964**	**25645807**
बिहार	**696**	**99502**	**429117993**
चंडीगढ़	**3436**	**146594**	**486378128**
छत्तीसगढ	**2376**	**98305**	**321830956**
दिल्ली	**5283**	**592861**	**1897582575**
गोवा	**301**	**12612**	**34743722**
गुजरात	**11307**	**811671**	**2506677527**
हरियाणा	**6621**	**770805**	**2363388827**
हिमाचल प्रदेश	**2490**	**106307**	**307179359**
झारखंड	**989**	**41505**	**114459790**
कर्नाटक	**7397**	**899696**	**3070282998**
केरल	**3412**	**156611**	**814670268**
मध्य प्रदेश	**4359**	**268860**	**935641752**
महाराष्ट्र	**13542**	**1632312**	**4884139813**
ओडिशा	**2023**	**103326**	**319101695**
पंजाब	**4594**	**154043**	**563967699**
राजस्थान	**7292**	**358502**	**922977695**
तमिल नाडू	**12743**	**1100429**	**3390551031**
उत्तर प्रदेश	**12001**	**650921**	**2280515607**
उत्तराखंड	**2402**	**230051**	**576517699**
पश्चिम बंगाल	**3574**	**268315**	**704921141**
कुल	**115422**	**9245263**	**29107932242**

अनुबंध-।।

रोजगार सृजन के बारे में लोक सभा के दिनांक 17.12.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1086 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार

सृजित रोजगार					
योजनाएं/वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
पीएमईजीपी के तहत अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	**357502**	**323362**	**407840**	**387184**	**284856 (30.11.2018 तक)**
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (मानव दिवस लाख में)	**16619**	**23513.13**	**23565.01**	**23420.50**	**16322.49 (30.11.2018 तक)**
डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण के बाद रोजगार में नियोजित अभ्यर्थी (व्यक्तियों की संख्या)	**54196**	**109512**	**147883**	**75787**	**95640 (03.12.2018 तक)**
डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिया गया नियोजन (व्यक्तियों की संख्या)	**63115**	**33664**	**151901**	**115416**	**94753 (05.12.2018 तक)**

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 1549

(बुधवार, 19.12.2018 को उत्तर देने के लिए)

वरिष्ठ कर्मचारियों का हक

1549. **प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ः**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों की वरिष्ठ नागरिक अर्हता की आयु को कम करके 58 वर्ष करने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पेंशन की आयु बढ़ाने या घटाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पेंशन नीति की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): जी नहीं । सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान समय में वरिष्ठ नागरिक की उम्र कम करने के लिए उस विभाग में कोई प्रस्ताव नहीं है। सेवानिवृत्त होने पर सरकारी कर्मचारी पेंशन पाने के पात्र हो जाते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने या घटाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन पात्रता की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहा सरकारी कर्मचारी, कम से कम 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद, अपने अंतिम वेतन का 50% या अपने अंतिम 10 महीनों की औसत परिलब्धियों के 50%, जो भी अधिक फायदेमंद है, की दर पर पेंशन पाने का हकदार है।

ii. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का होने के बाद, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को 20% से 100% की दर पर अतिरिक्त पेंशन देय होती है।

iii. एक सेवानिवृत्त हो चुका/ सेवानिवृत्त हो रहा सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, अपनी पेंशन के अधिकतम 40% का संराशीकरण करके एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने का हकदार है।

iv. सेवानिवृत्ति पर, एक सरकारी कर्मचारी अपनी परिलब्धियों और अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रैच्युइटी) प्राप्त करने का हकदार है।

v. केंद्र सरकार के पेंशनभोगी की मृत्यु पर, उसका परिवार, सात साल की अवधि के लिए उसके अंतिम वेतन का 50% या उस अवधि तक के लिए जिस तिथि को सेवानिवृत्त मृत सरकारी सेवक 67 वर्ष की आयु का होगा, जो भी पहले हो, परिवार पेंशन पाने का हकदार है। उसके बाद, परिवार पेंशन की राशि उसके अंतिम वेतन का 30% होगी। 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र का हो जाने के बाद परिवार पेंशनभोगी के परिवार पेंशन की राशि में 20% से 100% तक की वृद्धि होगी।

vi एक सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सात साल से भी कम की निरंतर सेवा प्रदान करते हुए हो जाती है, उसका परिवार दस साल की अवधि के लिए उसके अंतिम वेतन का 50% परिवार पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। उसके बाद, परिवार पेंशन की राशि उसके अंतिम वेतन का 30% होगी।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1851

(जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2018/30 अग्रहायण,1940 (शक) को दिया जाना है)

सामाजिक सुरक्षा योजना

1851. श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री चन्द्रप्रकाश जोशी:
श्री रामदास सी. तडस:

श्री विद्युत वरण महतो:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजना का कवरेज बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस योजना के अंतर्गत कवरेज के विस्तार हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें विगत पंचवर्षीय योजना के दौरान आज की तिथि तक इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है; और

(ग) आरंभ से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) और (ख): सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीब लोगों, वंचित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु वर्ष 2015-16 के लिए बजट में की गयी घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने 1 जून, 2015 से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरूआत की थी। अटल पेंशन योजना अभिदाता को, उसके द्वारा चयन की गयी पेंशन योजना के अनुसार, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान करती है।

एपीवाई योजना की शुरूआत के 3 वर्ष के भीतर, 18 दिसम्बर, 2018 तक एपीवाई के अंतर्गत 1.35 करोड़ से अधिक अभिदाताओं को नामांकित किया गया है।

एपीवाई के तहत पंजीकरणों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- मौसमी (सीजनल) आय अर्जकों को ध्यान में रखते हुए अभिदाता द्वारा अंशदान के भुगतान के तरीके को केवल मासिक से बदल कर मासिक, त्रैमासिक और अर्ध-वार्षिक कर दिया गया है।

- एपीवाई खातों तक पहुंच के साथ-साथ पीआरएएन तक पहुंच के लिए ई-पीआरएएन और ई-एसओटी जैसी मूल्य वर्धित सुविधाओं तथा एपीवाई के अंतर्गत लेन-देन का विवरण ऑन-लाइन प्राप्त करने के लिए आधिकारिक मोबाइल एप।
- प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में आवधिक विज्ञापन दिए जा रहे हैं।
- देश भर में एपीवाई के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिकारियों के द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर निगरानी बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- पीएफआरडीए योजना को लोकप्रिय बनाने तथा उसके बारे में जागरूकता के सृजन हेतु सेवा प्रदाताओं (बैंक और डाकघर) के बीच लॉग-इन दिवस, वृद्धावस्था दिवस - जैसे विभिन्न संवर्धनात्मक अभियान भी चला रही है।
- एपीवाई अंशदाताओं के लिए शिकायत मोड्यूल।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक शाखा अधिकारियों की क्षमता सृजन।
- टाऊन हाल बैठकों, एसएलबीसी बैठकों में भागीदारी करना।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा अभिशासित ईपीएफओ एंड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर होने वाली 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली कंपनियों पर लागू होने वाले कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत कंपनियों में, 31 मार्च,2017 की स्थिति के अनुसार, सदस्यों की संख्या 14,71,37,791 है। 31 मार्च,2017 की स्थिति के अनुसार, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों की संख्या 56,49,797 है।

कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की सदस्यता हेतु पात्र बनाने के लिए वेतन सीमा को दिनांक 01.09.2014 से 6,500/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000/- रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दो सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं हैं, जिनकी सरकार द्वारा शुरूआत 09 मई, 2015 को की गई थी। पीएमजेजेबीवाई में 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के सभी अभिदाता बैंक खाताधारकों को प्रति अभिदाता 330/- रूपए प्रति वर्ष के प्रीमियम जिसे अभिदाता के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट किया जाना है, पर किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करते हुए दो लाख रूपए का नवीकरणीय वार्षिक जीवन कवर का प्रस्ताव किया गया है। उसी प्रकार, पीएमएसबीवाई में प्रति अभिदाता 12/- रूपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के सभी अभिदान करने वाले बैंक खाताधारकों को नवीकरणीय वार्षिक दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता बीमा कवर प्रदान करता है। इस योजना में दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए दो लाख रूपए का और स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में एक लाख रूपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

दिनांक 31.10.2018 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 5,57,73,071 तथा पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 14,27,18,926 व्यक्ति पंजीकृत हुए हैं।

(ग): एपीवाई के अंतर्गत नामांकित अभिदाताओं के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़े **अनुबंध-I** में हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 18.12.2018 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार नामांकन

क्र.सं.	राज्य का नाम	पीआरएएन की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,465
2	आंध्रप्रदेश	8,80,203
3	अरूणाचल प्रदेश	9,281
4	असम	2,51,978
5	बिहार	13,26,408
6	चंडीगढ़	19,677
7	छत्तीसगढ़	2,17,312
8	दादरा एवं नगर हवेली	15,654
9	दमन एवं दीव	27,369
10	दिल्ली	2,36,188
11	गोवा	45,066
12	गुजरात	6,41,286
13	हरियाणा	2,82,556
14	हिमाचल प्रदेश	90,232
15	जम्मू और कश्मीर	50,268
16	झारखण्ड	2,91,581
17	कर्नाटक	9,50,718
18	केरल	3,01,999
19	लक्षद्वीप	4,503
20	मध्य प्रदेश	6,70,999
21	महाराष्ट्र	10,47,306
22	मणिपुर	16,118
23	मेघालय	24,474
24	मिजोरम	17,349
25	नागालैण्ड	49,804
26	उडीसा	4,43,705
27	पुदुच्चेरी	29,855
28	पंजाब	4,14,364
29	राजस्थान	6,29,861
30	सिक्किम	49,857
31	तमिलनाडु	11,38,480
32	तेलंगाना	3,78,653
33	त्रिपुरा	39,693
34	उत्तर प्रदेश	19,69,552
35	उत्तरांचल	1,14,992
36	पश्चिम बंगाल	8,29,712
	कुल	**1,35,11,518**

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2088

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु छूट

2088. श्री जी. एम. सिद्देश्वरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश में कार्य करने वाले भारतीय अब स्वयं को अपने मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा योजना से मुक्त कर सकते हैं एवं सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कवर हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लाभ को उठाने के लिए एक ऑनलाइन सेवा कार्यशील की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ ने इस संबंध में 18 देशों के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। यह सुविधा उन भारतीय कामगारों के लिए उपलब्ध है जो अपने नियोक्ता द्वारा उन देशों में प्रतिनियुक्ति पर हैं जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) किया है तथा वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कवरेज (बीमा छत्र) का प्रमाण पत्र (सीओसी) ले सकते हैं।

(ग): कवरेज (बीमा छत्र) का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की एक ऑनलाइन सुविधा ईपीएफओ द्वारा शुरु की गई है।

(घ) एवं (ङ): भारत ने निम्नलिखित 18 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) किया है:-

(i) ऑस्ट्रेलिया (ii) ऑस्ट्रिया (iii) बेलजियम (iv) कनाडा (v) जेक रिपब्लिक (vi) डेनमार्क (vii) फिनलैंड (viii) फ्रांस (ix) जर्मनी (x) हंगरी (xi) जापान (xii) कोरिया गणतंत्र (दक्षिण कोरिया) (xiii) लक्जमबर्ग (xiv) नीदरलैंड (xv) नॉर्वे (xvi) पुर्तगाल (xvii) स्वीडन और (xviii) स्विट्जरलैंड ।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2145

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत कर्मचारियों का कवरेज

2145. श्री आर.गोपालकृष्णन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोक भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के कवरेज को बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक व्यक्तियों/निजी कंपनियों को शामिल करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत शामिल किए गए व्यक्तियों/निजी कंपनियों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(घ) इस कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हाँ। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए, 01.09.2014 से सांविधिक मजदूरी सीमा को प्रति माह 6500/- रूपये से बढ़ाकर 15000/- रूपये किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवरेज के लिए मजदूरी सीमा को भी 01.01.2017 से प्रतिमाह 15000/-रुपये से बढ़ाकर 21000/-रुपये कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और इस तरह कर्मचारी भविष्य निधि कवरेज के अंतर्गत और अधिक लोगों को लाने के लिए, 09.08.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार नियोक्ता के हिस्से का सम्पूर्ण अंशदान अर्थात् मजदूरी के 12 प्रतिशत का वहन करती है। आदिनांक 1.18 लाख प्रतिष्ठानों और 97.25 लाख कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

ईएसआई स्कीम में, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार इस स्कीम में कवर किए गए बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ के साथ-साथ रुग्णता, प्रसूति तथा रोजगारजन्य चोटों के लिए नकद लाभ का प्रावधान है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, ईएसआई स्कीम के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या 3.43 करोड़ है और चिकित्सा लाभ के हकदार कुल लाभार्थियों की संख्या 13.32 करोड़ है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, ईएसआई स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए नियोक्ताओं की संख्या 10,33,730 है।

(ग): ईपीएफओ के अंतर्गत कवर किए गए सदस्य, खातों तथा प्रतिष्ठानों का विवरण अनुबंध में है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ लाभ प्रदान करने तथा सभी पात्र प्रतिष्ठानों को इसके अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य है। जहां तक ईएसआई स्कीम का संबंध है, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सहायता से चिकित्सा और नकद लाभों की व्यवस्थाएं गैर-क्रियान्वित क्षेत्रों को विस्तारित की जा रही हैं।

* ***

अनुबंध

"भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत कर्मचारियों का कवरेज" के संबंध में श्री आर.गोपालकृष्णन द्वारा पूछे गए 24.12.2018 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2145 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य	2016		2017		2018	
	प्रतिष्ठान	सदस्य	प्रतिष्ठान	सदस्य	प्रतिष्ठान	सदस्य
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	675	30528	विभाजन उपलब्ध नहीं है		941	40142
आंध्र प्रदेश	36928	3263263	86521	14447510	41956	4089838
अरुणाचल प्रदेश	833	23056	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
असम	8913	589558	15054	945193	20536	991874
बिहार	11505	1038753	14542	1235709	17428	1394818
चंडीगढ़	3099	788608	22321	3160330	11939	2465301
छत्तीसगढ	12171	1330494	13962	1547123	15984	1727620
दादरा और नागर हवेली	104	38270	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
दमन और दीव	1538	454785	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
दिल्ली	58568	13972550	62930	15546706	67810	16889474
गोवा	4515	1189486	4828	1316705	5090	1395713
गुजरात	79963	12927251	88829	15260059	95738	16711292
हरियाणा	44571	12391650	48686	14041586	52985	15428652
हिमाचल प्रदेश	9960	1165652	13474	1362504	16575	1508104
झारखंड	16924	1811688	18624	1997937	20370	2152331
कर्नाटक	65551	20161034	73196	22497385	82277	24475636
केरल	25714	2636043	27108	2973688	28463	3145561
लक्षद्वीप	14	78	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
मध्य प्रदेश	31492	3838608	36499	4403751	42225	4813494
महाराष्ट्र	142910	34127787	159398	38417086	175978	42035107
मणिपुर	677	23323	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
मेघालय	808	81868	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
मिजोरम	199	6928	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
नागालैंड	522	14733	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
ओडिशा	22383	2629589	25589	2925452	28529	3137629
पुदुचेरी	2329	433661	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
पंजाब	39440	4847089	22874	3051343	35937	4126454
राजस्थान	33194	4273456	37867	4923490	42583	5447387
सिक्किम	416	50033	विभाजन उपलब्ध नहीं है		विभाजन उपलब्ध नहीं है	
तमिलनाडु	102040	20578908	111768	23653089	119953	25571393
तेलंगाना	42666	9393447	विभाजन उपलब्ध नहीं है		50885	11582857
त्रिपुरा	1113	78250	विभाजन उपलब्ध नहीं है		1296	94607
उत्तर प्रदेश	64423	7242952	72344	8349214	81157	9277059
उत्तराखंड	8497	2274176	9897	2714784	11420	3046623
पश्चिम बंगाल	51642	7706426	57877	8621216	63561	9262082
कुल	**926297**	**171413981**	**1024188**	**193391860**	**1131616**	**210811048**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2184
सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

बेरोजगार युवाओं के लिए पेंशन योजना

2184. श्री राजेश रंजनः
श्रीमती रंजीत रंजनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का संपूर्ण देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दसवीं पास बेरोजगार युवाओं का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): आज की तारीख तक बेरोजार युवाओं के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख एवं ग): श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी के बारे में आयोजित किए गए उपलब्ध श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में 2015-16 में सामान्य प्रमुख स्थिति आधार पर 18-29 वर्षों की आयु के बेरोजगार युवाओं एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित प्रतिशत अनुबंध-। में दिया गया है।

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2243

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018 / 3 पौष, 1940 (शक)

कुशल और अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति

2243. एडवोकेट शरदकुमार मारुति बनसोडे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान कुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय की विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और उन्हें भरने की कोई भावी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय में सभी भर्तियां भर्ती एजेन्सियों नामत: कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा(सीएसएसएस), भारतीय आर्थिक सेवा(आईईएस), भारतीय सांख्यिकीय सेवा(आईएसएस), आदि के अधिकारी संबंधित संवर्ग के नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा इस मंत्रालय में तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने सामान्य वित्त नियमों (जीएफआर) के उपबंधों के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ आशुलिपिकों, चालकों, डेटा एन्ट्री ऑपरेटरों और बहु-कार्य स्टाफ की नियुक्ति की है।

(ग) और (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय में इसके अंतर्गत कोई विभाग नहीं है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 24.12.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 के भाग (ख एवं ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

2015-16 में सामान्य प्रमुख स्थिति पद्धति के अनुसार 18-29 वर्ष आयु के बेरोजगार युवाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)	शैक्षिक वर्गीकरण के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों का वितरण (% में)	
			मिडिल/माध्यमिक/उच्चमाध्यमिक	स्नातक एवं उससे अधिक
1	आंध्र प्रदेश	11.3	2.6	24.1
2	अरुणाचल प्रदेश	34.7	10.3	28.7
3	असम	16.4	5.3	25.3
4	बिहार	15.5	5.5	27.5
5	छत्तीसगढ़	5.0	1.5	17.4
6	दिल्ली	8.9	1.6	5.0
7	गोवा	23.0	11.6	14.0
8	गुजरात	2.6	0.6	3.5
9	हरियाणा	12.7	2.8	12.0
10	हिमाचल प्रदेश	31.3	6.8	34.9
11	जम्मू-कश्मीर	24.6	3.2	17.2
12	झारखंड	22.4	6.1	37.1
13	कर्नाटक	4.3	1.1	7.1
14	केरल	29.5	6.7	30.2
15	मध्य प्रदेश	8.7	2.1	7.9
16	महाराष्ट्र	7.3	1.5	9.4
17	मणिपुर	16.9	2.6	32.9
18	मेघालय	9.2	4.8	30.9
19	मिजोरम	7.2	1.7	32.1
20	नागालैंड	24.2	3.8	37.8
21	ओडिशा	14.6	4.9	22.8
22	पंजाब	17.1	4.2	17.5
23	राजस्थान	15.0	2.7	21.0
24	सिक्किम	54.1	15.2	73.3
25	तमिलनाडु	14.0	2.9	16.7
26	तेलंगाना	8.1	1.5	10.7
27	त्रिपुरा	35.0	17.4	49.2
28	उत्तराखंड	20.4	3.0	20.9
29	उत्तर प्रदेश	18.4	3.8	23.7
30	पश्चिम बंगाल	12.1	3.9	26.2
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28.0	10.6	35.1
32	चंडीगढ़	14.3	3.7	5.4
33	दादरा एवं नागर हवेली	6.9	0.8	14.9
34	दमन और दीव	0.7	-	2.1
35	लक्षद्वीप	25.3	7.5	13.7
36	पुडुचेरी	18.7	6.4	15.3
	समस्त भारत	**13.2**	**3.3**	**18.4**

स्रोत: श्रम ब्यूरो के ईएंडयू सर्वेक्षण।

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2256
सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

श्रमिकों से संबंधित योजनाओं के लिए धनराशि
जारी करना

2256. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंकः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों हेतु उत्तराखंड को वर्ष-वार/योजना-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और योजना-वार कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय को श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हुए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): मंत्रालय चार केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, यथा-रोजगार संवर्द्धन योजना (अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों हेतु अध्यापन एवं मार्गदर्शन (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र), प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) तथा राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना (एनसीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। इन चार योजनाओं में से केवल राष्ट्रीय करियर सेवा से ही राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तराखण्ड को जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना	29.78	111.86	16.58	29.58

उक्त अवधि के दौरान, इन योजनाओं (अखिल भारत) के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैः

योजना	वर्ष					कुल
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (नवम्बर, 2018 तक)	
पीएमआरपीवाई	-	-	33031	3027612	6397482	9458125
रोजगार संवर्धन योजना	12552	12098	11787	11759	7696	55892
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों हेतु अध्यापन एवं मार्गदर्शन	4800	3000	3000	3000	2200	16000

आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करने तथा रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के तहत राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों की योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की गई तथा योग्य प्रस्तावों को ही वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

"श्रमिकों से संबंधित योजनाओं के लिए धनराशि जारी करना" के बारे में डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 24.12.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2256 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आज की तारीख तक राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों के ब्यौरे का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना हेतु जारी निधियां	रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने हेतु जारी निधियां
1	अंडमान और निकोबार	26.92	-
2	आंध्र प्रदेश	132.28	152.00
3	अरुणाचल प्रदेश	21.18	-
4	असम	144.27	464.00
5	बिहार	76.79	645.00
6	चंडीगढ़	-	-
7	छत्तीसगढ़	96.59	416.00
8	दादरा और नागर हवेली	-	-
9	दमन और दीव	-	7.04
10	दिल्ली	52.12	-
11	गोवा	8.25	-
12	गुजरात	133.1	406.00
13	हरियाणा	47.58	267.87
14	हिमाचल प्रदेश	35.06	80.87
15	जम्मू-कश्मीर	71.85	200.00
16	झारखंड	37.48	274.00
17	कर्नाटक	118.55	336.00
18	केरल	55.74	-
19	लक्षद्वीप	10.65	-
20	मध्य प्रदेश	301.66	602.00
21	महाराष्ट्र	103.82	-
22	मणिपुर	32.77	-
23	मेघालय	56.09	-
24	मिजोरम	-	29.92
25	नागालैंड	22.42	95.00
26	ओडिशा	156.74	291.00
27	पुडुचेरी	31.36	16.21
28	पंजाब	49.14	84.00
29	राजस्थान	26.79	272.00
30	सिक्किम	62.1	-
31	तमिलनाडु	76.07	560.00
32	तेलंगाना	80.03	222.00
33	त्रिपुरा	68.32	39.00
34	उत्तर प्रदेश	243.3	629.37
35	उत्तराखंड	75.8	112.00
36	पश्चिम बंगाल	192.58	140.00
कुल		2647.40	6341.28

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2262

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018 / 3 पौष, 1940 (शक)

यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर जोड़ना

2262. श्री एस. राजेन्द्रन:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री एस. आर. विजय कुमार:
श्री टी. राधाकृष्णन:
कुँवर हरिवंश सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि-संगठन (ईपीएफओ) के कुल कितने सदस्य है;

(ख) क्या इसके सदस्यों में से 50 प्रतिशत से ज्यादा सदस्यों को 'अपने ग्राहक को जानो' के यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर से नहीं जोड़ा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि के सभी सदस्यों को 'अपने ग्राहक को जानो' के साथ यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर से जोड़ने का निदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इनके सदस्यों को त्वरित, सहज तथा विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हो/उठाए जा रहे हो?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के खातों की संख्या अनुबंध में है।
(ख) और (ग): आदिनांक तक 14.41 करोड़ सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) बांटे गए है और 5.5 करोड़

यूएएन आधार के साथ जोड़े गए हैं, जिससे सदस्यों को प्रभावी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। कई सदस्यों के खाते निष्क्रिय खाते है जहां ना तो खाता धारक से संपर्क किया जा सकता है और ना हीं पहुंचा जा सकता है।

(घ) और (ड.): जी, हां। ईपीएफओ द्वारा अपने ग्राहक को जानें (नॉ योर कस्टूमर) को यूएएन से जोड़ने के लिए दिनांक 22.06.2015 और 29.11.2018 को पत्र जारी किया जा चुका है।

(च): ईपीएफओ द्वारा अपने सदस्यों को गतिशील, सुविधाजनक और विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दावों के लिए ऑनलाइन सुविधा, पासबुक को देखने की सुविधा, एसएमएस की सुविधा, ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा और नियोक्ता द्वारा प्रमाणिकरण हटाने और पार्ट निकासी के लिए स्वाप्रमाणिकरण आरम्भ करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

*****

अनुबंध

"यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर जोड़ना" से संबंधित श्री एस. राजेन्द्रन, श्री सुधीर गुप्ता, श्री अशोक शंकरराव चव्हाण, श्री एस.आर. विजय कुमार, श्री टी. राधाकृष्णन और कुँवर हरीवंश सिंह द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 24.12.2018 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2262 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य-वार	**सदस्यों के खाता (2016-17)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34933
2	आंध्र प्रदेश	3755279
3	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागलैंड, त्रिपुरा और मेघालय सहित असम।	945193
4	बिहार	1235709
5	चंडीगढ़ सहित पंजाब	6211673
6	छत्तीसगढ	1547123
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित गुजरात	15260059
8	दिल्ली	15546706
9	गोवा	1316705
10	हरयाणा	14041586
11	हिमाचल प्रदेश	1362504
12	झारखंड	1997937
13	कर्नाटक	22497385
14	केरल	2973688
15	मध्य प्रदेश	4403751
16	महाराष्ट्र	38417086
17	ओडिशा	2925452
18	राजस्थान	4923490
19	पुडुचेरी सहित तमिलनाडु	23653089
20	तेलंगाना	10692231
21	उत्तर प्रदेश	8349214
22	उत्तराखंड	2714784
23	पश्चिम बंगाल	8586283
	कुल	193391860

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2264

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018 / 3 पौष, 1940 (शक)

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

2264. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:
श्री प्रताप सिन्हा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किए गए बीमित व्यक्तियों (आईपी) हेतु अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य पात्रता संबंधी शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने बीमित व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या ईएसआईसी ने बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए भी अति विशिष्ट उपचार प्राप्त करने के संबंध में पात्रता शर्तों को शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ईएसआईसी के लाभों से जुड़े और विगत दो वर्षों के दौरान ईपीएफओ के दायरे में लाए गए कामगारों की संख्या कितनी है;

(ङ) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के जीवनस्तर में सुधार करने के उद्देश्य से कार्य की स्थितियों, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी हां।

(ख): क.रा.बी. निगम ने बीमित व्यक्ति के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक स्कीम का सूत्रपात किया है, जो बीमित व्यक्ति के बेरोजगार हो जाने की स्थिति में, शपथपत्र के रूप में दावे की प्रस्तुति पर जीवन में एक बार बीमित व्यक्ति को बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिन तक अदा की जाने वाली पिछली चार अंशदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत आय(चार अंशदान अवधियों के दौरान कुल

आय/730) के 25% तक की सीमा तक राहत प्रदान करती है। यह स्कीम 01-07-2018 से प्रभावी मानी जाए तथा 90 दिन बाद भुगतान के लिए देय होगी। यह स्कीम आरंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की गई है। इस स्कीम की पात्रता की शर्तें और अन्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- बीमित व्यक्ति राहत का दावा की जाने वाली अवधि के दौरान बेरोजगार हो गया हो।
- बीमित व्यक्ति दो वर्षों की न्यूनतम अवधि तक बीमा योग्य रोजगार में रहा हो।
- बीमित व्यक्ति ने पिछली चार अंशदान अवधियों में से प्रत्येक के दौरान 78 दिन तक अंशदान दिया हो।
- उसके संबंध में अंशदान अदा कर दिया गया हो या नियोजक द्वारा देय हो।
- बेरोजगारी की आकस्मिकता दुराचार के दण्ड या अधिवार्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप न हो।
- बीमित व्यक्ति का आधार और बैंक खाता बीमित व्यक्ति के डेटा बेस से सहबद्ध हो।
- बीमित व्यक्ति के एक से अधिक नियोजकों के पास नियोजित होने और ईएसआई स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित होने के मामले में, उसे केवल उसी स्थिति में बेरोजगार माना जाएगा यदि वह सभी नियोजकों की ओर से बेरोजगार हो जाए।
- जैसा कि क.रा.बी. अधिनियम की धारा 65 में विनिर्दिष्ट है, बीमित व्यक्ति एक ही अवधि के लिए अन्य किसी नकद क्षतिपूर्ति और एबीवीकेवाई के अंतर्गत राहत का एक साथ हकदार नहीं होगा। तथापि, क.रा.बी. अधिनियम एवं विनियमों के अंतर्गत स्थायी अपंगता लाभ(पीडीबी) के आवधिक भुगतान जारी रहेंगे।
- जैसा कि क.रा.बी. अधिनियम की धारा 65 में विनिर्दिष्ट है, एबीवीकेवाई के अंतर्गत राहत प्राप्त करने वाला बीमित व्यक्ति किसी अन्य अधिनियमन के उपबंधों के अंतर्गत स्वीकार्य कोई समतुल्य लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- बीमित व्यक्ति इस राहत का लाभ प्राप्त करने की अवधि के लिए अधिनियम के अधीन यथा प्रदत्त चिकित्सा लाभ का हकदार होगा।
- एबीवीकेवाई के अंतर्गत दावेदार द्वारा राहत का दावा बेरोजगार होने के बाद किसी भी समय, लेकिन बेरोजगार होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर समुचित शाखा कार्यालय के समक्ष विहित प्रपत्र(एबी-1) में शपथ-पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए। एबीवीकेवाई के अंतर्गत किसी पूर्वव्यापी दावे अर्थात भविष्य की किसी अवधि के लिए राहत के दावों की अनुमति नहीं होगी।

- बीमित व्यक्ति ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से अपना दावा ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए दावा तैयार करने के लिए लिंक ईएसआईसी पोर्टल पर दिया जाएगा।

एबीवीकेवाई के अंतर्गत शाखा कार्यालय द्वारा बीमित व्यक्ति को राहत का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा/देय होगा।

(ग): जी हां, क.रा.बी. निगम ने 18.09.2018 को सम्पन्न अपनी 175वीं बैठक में बीमित व्यक्तियों के आश्रितजनों के लिए अति विशेषज्ञता उपचार का लाभ उठाने की पात्रता शर्त में ढील देने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को अति विशेषज्ञता उपचार की अनुमति दी जाए, यदि बीमित व्यक्ति ने 156 दिन का अंशदान (अंशदान की प्रत्येक अवधि में 78 दिन) दिया हो तथा बीमा-योग्य रोजगार में पंजीकरण की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष पूरा किया हो।

2. नियोजक ने क.रा.बी.(सामान्य) विनियम, 1950 जिसके न होने पर विनियम 26(क) के साथ पठित धारा 44 के अनुसार मासिक अंशदान दर्ज कराया हो।

3. बीमित व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य अति विशेषज्ञता का लाभ उठाते रहेंगे यदि बीमित व्यक्ति विस्तारित बीमारी लाभ प्राप्त कर रहा हो।

(घ): ईपीएफओ के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ङ): क.रा.बी. अधिनियम कार्यान्वित क्षेत्र में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू है तथा इसलिए यह असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। ईएसआई स्कीम वर्तमान में 528 जिलों और 179 जिलों में कार्यान्वित है, आंशिक रूप से इस स्कीम का कार्यान्वयन केन्द्रों में किया गया है। दर्शन-2022 तैयार किया गया है जिसमें ईएसआई स्कीम का विस्तार 2022 तक समस्त देश में करने का विचार है। यह समस्त देश में ईएसआई स्कीम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभों की समान रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2949

(जिसका उत्तर 28 दिसम्बर, 2018/7 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)

पेंशन योजनाएं

2949. श्री शेर सिंह गुबायाः
श्री रवीन्द्र कुमार रायः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
श्री रामदास सी॰ तडसः
श्री विद्युत वरण महतोः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं के प्रकारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा गत चार वर्षों के दौरान कोई नई पेंशन योजना आरंभ की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन॰पी॰एस॰) को सरल बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में वर्तमान में पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए/अंशदाता व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) और (ख): वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय दो पेंशन योजनाएं, नामत: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) चला रहा है।

भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) (पूर्व में नई पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी) की शुरुआत की थी और इसे दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नई भर्ती होने पर सेवा में आने वाले केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 12(4) के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को एनपीएस हेतु अधिसूचित करने के लिए सशक्त हैं। एक अंशदायी पेंशन योजना होने के कारण एनपीएस के टियर-I खाते में कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते की 10 प्रतिशत की दर से मासिक अंशदान और सरकार द्वारा

उसके समकक्ष का अंशदान करना होता है। टियर-II खाता कर्मचारी की ओर से एक स्वैच्छिक खाता होता है जो कि सक्रिय टियर-I खाते से जुड़ा होता है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत मई, 2015 में की गई थी। 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के भारतीय नागरिक अपने बचत बैंक खाते अथवा डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से एपीवाई में जुड़ने हेतु पात्र हैं। चुनी गई पेंशन योजना के आधार पर एपीवाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु के बाद अपनी मृत्यु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह अथवा 2,000 रुपये प्रतिमाह अथवा 3,000 रुपये प्रतिमाह अथवा 4,000 रुपये प्रतिमाह अथवा 5,000 रुपये प्रतिमाह की गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सूचित किया है कि ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस, 1995) लागू कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि ईपीएफओ ने पिछले चार वर्ष में किसी नई पेंशन योजना की शुरुआत नहीं की है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि वह सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्त हो रहे केन्द्रीय सिविल सरकारी कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना का अभिशासन करता है। अर्हक सेवा जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगी को पूरा करने के उपरांत एक कर्मचारी अपने अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत अथवा पिछले 10 माह के औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो, पेंशन हेतु पात्र है।

(ग): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), ने एनपीएस का अभिशासन करते हुये पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत बहिर्गमन और निकासिंया) विनियमन, 2015 के तहत एनपीएस के अंतर्गत बहिर्गमन और आहरण मानदण्डों को सरलीकृत किया है। अभिदाताओं की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों की संभावना को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत अभिदाता के अनिवार्य टियर-I खाते से आंशिक आहरण की सुविधा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम अवधि की आवश्यकता को 10 अगस्त, 2017 से योजना में जुड़ने की तिथि से 10 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। 10 अगस्त, 2017 से दो आंशिक आहरणों के बीच 5 वर्ष के न्यूनतम अंतराल को भी समाप्त कर दिया गया है। एनपीएस के अंतर्गत अभिदान की अवधि के दौरान एक अभिदाता 3 आंशिक आहरणों के लिए पात्र है, प्रत्येक आहरण अभिदाता द्वारा किये गये अंशदानों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा इसमें नियोक्ता द्वारा किये गये अंशदान शामिल नहीं होगें। तथापि, अभिदाता के टियर-II खाते में से आहरणों पर कोई सीमा नहीं है।

(घ): दिनांक 30.11.2018 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। दिनांक 22.12.2018 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है। दिनांक 01.03.2018 की स्थिति के अनुसार ईपीएस, 1995 के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

*****

अनुबंध I

दिनांक 30.11.2018 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिदाताओं की कुल संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	12644
2	आंध्र प्रदेश	829337
3	अरुणाचल प्रदेश	27379
4	असम	428986
5	बिहार	537274
6	चंडीगढ़	31644
7	छत्तीसगढ़	532023
8	दादर एवं नागर हवेली	1995
9	दमन एवं दीव	1656
10	रक्षा *	22136
11	दिल्ली	311774
12	गोवा	47629
13	गुजरात	569689
14	हरियाणा	337498
15	हिमाचल प्रदेश	124498
16	जम्मू और कश्मीर	195702
17	झारखंड	298344
18	कर्नाटक	1179258
19	केरल	544611
20	लक्षद्वीप	2074
21	मध्य प्रदेश	769664
22	महाराष्ट्र	1065386
23	मणिपुर	56411
24	मेघालय	22623
25	मिजोरम	10589
26	नागालैंड	35871
27	एनआरआई **	3340
28	ओडिशा	353951
29	पांडिचेरी	20439
30	पंजाब	271728

31	राजस्थान	712793
32	सिक्किम	18482
33	तमिलनाडु	561747
34	तेलंगाना	92482
35	त्रिपुरा	47320
36	उत्तर प्रदेश	1175011
37	उत्तरांचल	144506
38	पश्चिम बंगाल	504379
कुल		**11902873**

रक्षा* - सरकारी क्षेत्र के अभिदाता मुख्यत: अर्द्धसैनिक बलों से हैं जिन्होंने अपना पता 88,एपीओ अथवा 56, एपीओ इत्यादि दिया है

एनआरआई ** - अभिदाताओं ने विदेशी पता दिया है

अनुबंध - II

दिनांक 22.12.2018 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	पीआरएएन की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	4,478
2	आंध्र प्रदेश	8,85,412
3	अरुणाचल प्रदेश	9,311
4	असम	2,53,914
5	बिहार	13,35,211
6	चंडीगढ़	19,774
7	छत्तीसगढ़	2,18,078
8	दादरा और नगर हवेली	15,880
9	दमन एवं दीव	27,586
10	दिल्ली	2,37,564
11	गोवा	45,452
12	गुजरात	6,44,648
13	हरियाणा	2,84,405
14	हिमाचल प्रदेश	90,577
15	जम्मू और कश्मीर	50,529
16	झारखंड	2,92,976
17	कर्नाटक	9,55,083
18	केरल	3,03,402
19	लक्षद्वीप	4,512
20	मध्य प्रदेश	6,73,887
21	महाराष्ट्र	10,55,596
22	मणिपुर	16,245
23	मेघालय	26,060
24	मिजोरम	17,564
25	नगालैंड	50,350
26	ओडिशा	4,45,788
27	पांडिचेरी	30,238
28	पंजाब	4,16,245
29	राजस्थान	6,31,685
30	सिक्किम	50,450

31	तमिलनाडु	11,44,028
32	तेलंगाना	3,82,464
33	त्रिपुरा	40,330
34	उत्तर प्रदेश	19,84,083
35	उत्तरांचल	1,15,654
36	पश्चिम बंगाल	8,41,045
कुल		**136,00,504**

अनुबंध III

दिनांक 01.03.2018 की स्थिति के अनुसार ईपीएस, 1995 के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	नामांकित कर्मचारियों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	9928
2	आंध्र प्रदेश	955073
3	असम	271709
4	बिहार	324582
5	चंडीगढ़	362662
6	छत्तीसगढ़	368575
7	दिल्ली	2403857
8	गोवा	169712
9	गुजरात	2729742
10	हरियाणा	2061353
11	हिमाचल प्रदेश	281111
12	झारखंड	411698
13	कर्नाटक	4718860
14	केरल	968118
15	मध्य प्रदेश	932616
16	महाराष्ट्र	8074067
17	ओडिशा	651682
18	पंजाब	615150
19	राजस्थान	94430
20	तमिलनाडु	4571867
21	तेलंगाना	2418466
22	त्रिपुरा	29833
23	उत्तर प्रदेश	1785647
24	उत्तराखंड	481445
25	पश्चिम बंगाल	2434253
कुल		**3,89,76,313**

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3013

सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018/10 पौष, 1940 (शक)

अनुबंधित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

3013. श्री एस.पी.मुद्दाहनुमे गौड़ा:

श्री बी.वी.नाईक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पूरे देश में कार्यरत अनुबंधित कामगारों/श्रमिकों और बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा किसी प्रारूप पर विचार किया जा रहा है ताकि उनमें असुरक्षा की भावना को कम किया जा सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;
(ग) क्या मंत्रालय का अनुबंधित कामगारों/ श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अभिसमय, 1996 के अंतर्गत लाकर उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या मंत्रालय के पास देश में अनुबंधित कामगारों/श्रमिकों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): ठेका कामगारों/श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने और ठेका कामगारों के नियोजन को विनियमित करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 का क्रियान्वयन कर रही है। यह अधिनियम उन प्रत्येक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 20 अथवा अधिक कर्मकार नियोजित हों। ये कामगार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (1923), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, (1948), औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) और भविष्य निधि अधिनियम (1925) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, (1952) तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961) और उपदान संदाय अधिनियम (1972) इत्यादि के अंतर्गत अपनी पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रम कानूनों में सुधार एवं संशोधन एक सतत प्रक्रिया है जो परिवर्तित आवश्यकताओं एवं पणधारकों की मांगों तथा गहन त्रिपक्षीय परामर्शों पर आधारित है।

देश में बेरोजगार लोगों के संबंध में सरकार विभिन्न रोजगार सृजन स्कीमें यथा-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम(मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डीडीयू-जीकेवाई) और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डीएवाई-एनयूएनएम) चलाती है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनाएं रोजगार सृजन का संवर्धन करती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत गैर-कृषि क्षेत्रों के लघु/सूक्ष्म व्यवसायों वाले उपक्रमों में उद्यमियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरूआत तथा विस्तार के लिए बैंकों, नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक (कोलैट्रल) मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई ताकि रोजगार सृजन के संवर्धन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार 01.04.2018 से सभी क्षेत्रों के लिए नियोक्ताओं के हिस्से का पूरा अंशदान (12 प्रतिशत अथवा यथा अनुमेय) कर रही है और यह अगले तीन वर्षों के लिए सभी क्षेत्रों पर लागू है।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार के उद्देश्य से लगभग 22 मंत्रालय/विभाग विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास स्कीमें चलाते हैं।

सरकार राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल है और जिसका एक सघन कैरियर कंटेंट है और जो बेरोजगारों तथा नियोजकों को एक राष्ट्रव्यापी ऑन लाइन मंच प्रदान करता है ताकि वे गत्यात्मक, सक्षम एवं उत्तरदायी शैली से उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें।

(ग) और (घ): वर्ष 1979 से, भारत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आईसीईएससीआर),1966 का सदस्य है।

(ङ): पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नियोजित ठेका श्रमिकों की कुल संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	ठेका श्रमिकों की संख्या
2016	964001
2017	1110603
2018	1178878

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3029

सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018/10 पौष, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अदावाकृत निधियां

3029. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2014 तक देश के गरीब श्रमिकों की एक बड़ी राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अदावाकृत थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत चार वर्षों के दौरान सही लाभार्थियों को उक्त अदावाकृत निधियां उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक और उपयुक्त कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक सही लाभार्थियों को कितनी निधियां वितरित की गई हैं/उपलब्ध कराई गई हैं और शेष राशि कब तक प्रदान की जाएगी ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई भी अदावाकृत राशि नहीं है। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कुछ खाते निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत हैं। हालांकि ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3125

सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018/10 पौष, 1940 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

3125. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री राहुल शेवाले:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इनके लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार/कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है और इसका कितना उपयोग किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनियमितताओं/ भ्रष्टाचार के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार/कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा पूरे देश में उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ड.): असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 'असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008' अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में

(क) जीवन एवं अशक्तता छत्र;

जारी–2/-

(ख) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ;

(ग) वृद्धावस्था संरक्षण और;

(घ) अन्य कोई लाभ

से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए समुचित कल्याण योजनाओं का निर्माण उपबंधित है।

असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खर्च की गई राशि का उपलब्ध विवरण अनुबंध में है।

असंगठित कामगारों को जीवन और अशक्तता छत्र उपलब्ध कराने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय समेकित पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। अभी तक, इस संबंध में कोई भी अनियमितताएं नहीं मिली हैं।

सभी असंगठित कामगारों तक उनकी पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कवरेज का विस्तार करना केन्द्र सरकार का सतत प्रयास रहा है। यह मंत्रालय अधिक कवरेज की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहा है। केन्द्र सरकार ने असंगठित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए समुचित कल्याण योजनाओं की सिफारिश करने तथा योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने और अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों में केन्द्र सरकार को परामर्श देने के लिए केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन किया है। इसी प्रकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन अपेक्षित है।

* *****

अनुबंध

दिनांक 31.12.2018 के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3125 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना(आईजीएनओएपीएस) और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना(एनएफबीएस) : -

आईजीएनओएपीएस और एनएफबीएस के अंतर्गत निधियों का कुल व्यय (लाख में)				
	जारी		रिपोर्ट किया गया व्यय	
	आईजीएनओएपीएस	एनएफबीएस	आईजीएनओएपीएस	एनएफबीएस
2014-15	418098.05	55781.27	686100.53	37780.44
2015-16	556269.07	63941.89	554623.63	47343.61
2016-17*	148044.42	18577.10	24459.79	2773.50
* अनंतिम				

(2) पिछले चार वर्षों के दौरान दयनीय परिस्थितियों में रहने वाले कारीगरों (मास्टर शिल्प कारीगर के लिए पेंशन) की वित्तीय सहायता के घटको के अंतर्गत हुए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा:

दयनीय परिस्थियों में रहने वाले कारीगर / कारीगर पेंशन				
राज्य	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
	स्वीकृत राशि / उपयोग की गई राशि	स्वीकृत राशि/ उपयोग की गई राशि	स्वीकृत राशि / उपयोग की गई राशि	स्वीकृत राशि / उपयोग की गई राशि
आंध्र प्रदेश	0	**108066**	**116949**	**126000**
अंडमान एवं निकोबार	0	50433	**38983**	**0**
अरुणाचल प्रदेश	23000	29033	**67900**	**84000**
असम	206533	261297	**180000**	**245000**
बिहार	0	1225826	**0**	**1424921**
चंडीगढ़	0	0	**0**	**0**
छत्तीसगढ़	0	52033	**38983**	**42000**
दिल्ली	0	190035	**155932**	**199160**
गोवा	0	0	**0**	**0**
गुजरात	0	254098	**194915**	**210000**
हरियाणा	0	63033	**0**	**31160**
हिमाचल प्रदेश	0	108066	**77966**	**134580**
जम्मू-कश्मीर	0	267746	**116949**	**225580**
झारखंड	0	54033	**0**	**0**
कर्नाटक	0	486297	**388730**	**451160**
केरल	0	996530	**697594**	**535160**
मध्य प्रदेश	0	52033	**38983**	**42000**
महाराष्ट्र	0	352134	**316764**	**294000**
मणिपुर	923599	1301000	**1615900**	**1925000**
मेघालय	0	0	**0**	**46740**

मिजोरम	0	0	**0**	**0**
नागालैंड	276000	348396	**432000**	**420000**
ओडिशा	0	624138	**0**	**330463**
पुदुचेरी	0	54033	**38983**	**0**
पंजाब	0	405587	**233898**	**245000**
राजस्थान	0	540330	**377530**	**378000**
सिक्किम	23000	29033	**0**	**0**
तमिलनाडु	0	244068	**229798**	**322900**
तेलंगाना	0	**352134**	**155932**	**168000**
त्रिपुरा	35000	29033	**36000**	**73160**
उत्तर प्रदेश	**0**	**476097**	**324000**	**1047740**
उत्तराखंड	0	54033	**36000**	**42000**
पश्चिम बंगाल	0	2594071	**0**	**2053564**
कुल	**1487132**	**11602646**	**5910689**	**11097288**

3. <u>हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना</u>

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	**स्वास्थ्य बीमा योजना(एचआईएस)**	**महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)**
	निर्गत निधि	**निर्गत निधि**
2014-15	25.87	16.39
2015-16	01.94	16.67
2016-17	8.57	12.03

(4) <u>पिछले चार वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत निर्गत निधि</u>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निर्गत निधि (राशि करोड़ों में) (जुलाई, 2018 तक)							
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**
1	असम	1.06	23.24	54.72	0.00	0.00	79.02
2	बिहार	34.07	-	0.00	0.00	0.00	34.07
3	छत्तीसगढ़	58.81	88.77	114.09	171.38	0.00	433.05
4	गुजरात	18.47	74.24	22.34	15.07	23.52	130.12
5	हरियाणा	5.38	4.67	0.60	0.00	0.00	10.65
6	हिमाचल प्रदेश	3.75	13.90	12.30	6.15	0.00	36.11
7	झारखंड	5.51	-	0.00	0.00	0.00	5.51
8	कर्नाटक	-	94.99	45.89	7.39	21.93	148.27
9	केरल	110.43	112.37	73.29	77.53	0.00	373.62
10	मध्य प्रदेश	8.21	1.00	0.00	0.00	0.00	9.21
11	मणिपुर	1.73	1.17	2.20	0.00	0.00	5.10
12	मेघालय	1.25	4.10	4.10	0.00	11.08	20.53
13	मिजोरम	10.35	9.43	14.13	12.96	0.00	46.87
14	नागालैंड	4.66	-	0.00	4.87	0.00	9.53
15	ओडिशा	93.64	59.55	31.70	55.75	0.00	240.64
16	पुडुचेरी	-	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
17	पंजाब	2.59	2.80	0.00	0.00	0.00	5.39
18	राजस्थान	32.10	53.57	0.00	0.00	0.00	85.67
19	त्रिपुरा	14.29	15.64	10.83	0.04	0.00	40.80

20	उत्तर प्रदेश	36.47	11.91	0.00	0.00	0.00	48.38
21	उत्तराखंड	-	10.20	0.00	9.15	0.00	19.34
22	पश्चिम बंगाल	101.65	93.38	50.47	95.01	0.00	340.51
महायोग		**544.42**	**675.10**	**436.66**	**455.30**	**56.53**	2111.48

(5) पूर्ववर्ती आम आदमी बीमा योजना जिसे अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ समेकित किया गया है, के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान किया गया व्यय निम्नवत है:

वर्ष	**व्यय (करोड़ रूपये में)**
2013-14	303.82
2014-15	438.57
2015-16	436.58
2016-17	385.34
2017-18	435.16

6) <u>जननी सुरक्षा योजना(जेएसवाई)</u>

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना घटक के लिए राज्यवार एसपीआईपी के अनुमोदन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण

लाख रूपये में

क्र.सं.	**राज्य**	**2014-15**		**2015-16**		**2016-17***	
		एसपीआईपी अनुमोदन	**व्यय**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**
क. उच्च प्राथमिकता वाले राज्य							
1	बिहार	38714.80	29690.03	31298.31	29552.74	34339.76	12286.07
2	छत्तीसगढ़	6006.53	5294.70	6094.13	6190.44	6914.00	3890.94
3	हिमाचल प्रदेश	226.84	128.36	309.69	297.98	266.49	367.07
4	जम्मू-कश्मीर	2812.44	2167.13	3087.64	2249.78	2431.52	1450.37
5	झारखंड	8641.13	6239.85	9471.54	6599.19	7143.20	4415.89
6	मध्य प्रदेश	18979.77	17155.15	18565.50	18194.31	19240.00	12874.73
7	ओडिशा	9827.84	9782.53	10219.04	9513.52	9546.32	6358.18
8	राजस्थान	19408.05	18364.16	20100.18	17783.60	17628.96	13521.54
9	उत्तर प्रदेश	50921.07	44171.54	51184.55	36764.38	51128.79	29638.58
10	उत्तराखंड	1907.20	1948.48	2113.23	1818.95	1741.45	1160.35
	उप कुल	**157445.67**	**134941.92**	**152443.81**	**128964.88**	**150380.49**	**85963.72**
ख. पूर्वोत्तर राज्य							
11	अरुणाचल प्रदेश	181.90	84.74	230.52	139.49	202.28	51.58
12	असम	10494.20	9056.72	8534.18	8683.12	7156.48	6392.32
13	मणिपुर	197.02	229.04	234.26	294.61	234.26	140.57
14	मेघालय	368.13	234.73	416.13	296.60	462.11	240.19
15	मिजोरम	188.32	70.11	129.43	73.95	128.93	119.44
16	नागालैंड	175.90	120.63	184.14	79.89	182.36	31.78

17	सिक्किम	31.25	26.65	22.50	48.35	31.54	16.39
18	त्रिपुरा	291.87	252.43	318.65	292.51	318.90	178.58
	उप कुल	**11928.59**	**10075.04**	**10069.81**	**9908.52**	**8716.86**	**7170.85**
ग. गैर - प्राथमिकता वाले राज्य							
19	आंध्र प्रदेश	2509.88	3019.07	2494.88	3258.77	2765.55	1653.04
20	गोवा	12.30	4.40	12.30	7.17	12.30	4.06
21	गुजरात	3580.20	3485.26	3616.47	3574.31	2823.37	2091.16
22	हरियाणा	433.39	710.57	535.42	717.48	546.55	350.44
23	कर्नाटक	6585.00	5499.98	6622.50	5987.91	7881.02	4119.74
24	केरल	1313.12	1372.41	1369.67	1389.32	1499.38	857.82
25	महाराष्ट्र	5263.99	4591.24	4982.31	4471.27	5087.17	2528.79
26	पंजाब	1109.24	1367.39	1109.24	1265.90	1081.74	888.41
27	तमिलनाडु	5243.87	4530.20	3991.95	3565.62	4133.57	2360.41
28	तेलंगाना	2282.65	1871.57	1827.50	2205.80	2133.45	1665.19
29	पश्चिम बंगाल	5967.49	6046.42	6975.84	5359.46	5640.00	3985.82
	उप कुल	**34301.13**	**32498.51**	**33538.08**	**31803.02**	**33604.10**	**20504.87**
घ. लघु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र							
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.23	5.31	7.23	3.48	7.23	3.89
31	चंडीगढ़	6.12	7.35	13.82	5.79	9.51	6.65
32	दादरा और नागर हवेली	22.40	23.46	22.00	38.51	52.74	32.62
33	दमन और दीव	2.69	1.73	3.05	1.97	3.05	0.90
34	दिल्ली	230.00	118.19	200.85	118.77	161.00	57.85
35	लक्षद्वीप	6.91	9.37	12.13	5.33	12.13	3.07
36	पुडुचेरी	30.35	22.96	26.93	21.92	27.42	13.47
	उप कुल	**305.70**	**188.37**	**286.01**	**195.76**	**273.08**	**118.45**
	महा योग	**203981.09**	**177703.85**	**196337.70**	**170872.18**	**192974.53**	**113757.89**

* अनंतिम

द्रष्टव्य:

1) एसपीआईपी का अर्थ है राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना
2) व्यय में पिछले वर्ष का खर्च न किया गया शेष, केन्द्रीय अनुदान तथा राज्य का हिस्सा शामिल है तथा इसे 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार अद्यतन किया गया है।
3) उपर्युक्त आंकड़े राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए एफएमआर के अनुसार हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3173

सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018 / 10 पौष, 1940 (शक)

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन योजना के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा

3173. श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला और बाल विकास योजना और राष्ट्रीय आरोग्य मिशन के अंतर्गत महिला दिहाड़ी मजदूरों/कर्मचारियों को अपनी मजदूरी, भविष्य निधि राशि, कर्मचारी राज्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी, नहीं। केवल वे महिला दिहाड़ी मजदूर, जो ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, अपनी हकदारी के अनुसार ईएसआई योजना के सभी लाभ पाने के हकदार हैं।

ईएसआई योजना एक अंशदायी आत्मनिर्भर योजना है जो कवर किए गए कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के अंशदान पर चलती है। ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों को अपनी मजदूरी के 1.75% अंशदान का भुगतान करना होता है जबकि नियोक्ताओं को 4.75% अंशदान का भुगतान करना होता है। कवर किए गए कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम में यथा निर्धारित अंशदायी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन ईएसआई लाभ प्रदान किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3195

सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018 / 10 पौष, 1940 (शक)

ईपीएफओ द्वारा दावों के शीघ्र निपटारे हेतु कदम

3195. श्री संजय धोत्रे:

श्री भर्तृहरि महताब:

श्री राहुल शेवाले:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने मामलों का निपटारा किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निपटान हेतु ईपीएफ के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देशभर में उक्त दावों की प्रक्रिया और निपटान में विहित मानदंडों का पालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निपटान-दर कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का दावों के निपटारे की समयावधि कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा लंबित दावों के शीघ्र निपटान हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इसमें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के निपटाए गए दावे और निपटान के लिए लंबित मामले राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 72(7) के अनुसार, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत पूरी तरह से पूर्ण दावों का इनकी प्राप्ति की तारीख से 20 दिन के भीतर निपटान किया जाएगा तथा लाभार्थियों को लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा। दावों

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4161
सोमवार, 07 जनवरी, 2019/17 पौष, 1940 (शक)

पीएमआरपीवाई

4161. श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत मार्च 2019 तक 10 मिलियन रोजगार का लक्ष्य रखा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) योजना के अंतर्गत अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने रोजगार प्रदान किए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): 9 अगस्त, 2016 को रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा मौजूदा लाभार्थियों के संबंध में उनकी तीन वर्षों की शेष अवधि के लिए 01.04.2018 की तिथि से ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों (समय-समय पर यथा- स्वीकार्य) हेतु नियोक्ताओं के संपूर्ण अंशदान, अर्थात 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है। यह योजना 15,000/- रुपए प्रतिमाह तक कमाने वाले कर्मचारियों हेतु लक्षित है। इस योजना के दो लाभ है, जहां एक ओर, प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार में वृद्धि करने के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, संगठित क्षेत्र में इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त होंगे। 31.12.2018 तक लाभान्वित कर्मचारियों एवं प्रतिष्ठानों की संख्या क्रमशः 98.38 लाख एवं 1.21 लाख है। राज्य-वार लाभान्वित कर्मचारी, लाभान्वित प्रतिष्ठान एवं वितरित राज-सहायता की राशि अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

पीएमआरपीवाई के संबंध में लोक सभा के दिनांक 07.01.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4161 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आरंभ से 31 दिसम्बर, 2018 तक पीएमआरपीवाई पोर्टल से प्राप्त विवरण

राज्य	01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान लाभान्वित प्रतिष्ठानों की संख्या	01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान लाभांवित कर्मचारियों की संख्या	01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2018 की अवधि के दौरान वितरित राज-सहायता की राशि
आंध्र प्रदेश	8646	780535	2422534115
असम	365	8258	27780925
बिहार	737	105355	474851209
चंडीगढ़	3612	155769	548215125
छत्तीसगढ	2473	102987	359170624
दिल्ली	5570	628772	2137927962
गोवा	352	15343	42488134
गुजरात	11763	857175	2748520825
हरियाणा	7067	823757	2633467270
हिमाचल प्रदेश	2565	110997	340391679
झारखंड	1110	46635	133283018
कर्नाटक	7853	963140	3471298051
केरल	3567	165120	892195708
मध्य प्रदेश	4548	282474	1040402671
महाराष्ट्र	14193	1746468	5470612241
ओडिशा	2169	110975	358483871
पंजाब	4760	161869	626154768
राजस्थान	7601	376834	1029095730
तमिलनाडु	13527	1177433	3816056107
उत्तर प्रदेश	12556	689057	2528746729
उत्तराखंड	2491	243977	642416319
पश्चिम बंगाल	3825	285416	787598144
	121350	9838346	32531691225

के निपटान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विहित मानदण्डों का पालन किया जा रहा है। औसतन, कुल दावों का 93 प्रतिशत निपटान उनकी प्राप्ति के 20 दिन के भीतर किया जाता है।

(ङ): वर्तमान में, निपटान की अवधि कम करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च): लंबित दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i) ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को सार्वभौम खाता संख्या(यूएएन) नामक बारह अंक की स्थायी संख्या आबंटित की है। यह यूएएन पिछले भविष्य निधि खातों के समेकन और नियोजन में बदलाव की स्थिति में सुवाह्यता में सहायक होगा।
ii) आहरणों के लिए पूर्वगत बहुल दावा फॉर्म सं. 19, 10सी और 31 के स्थान पर एकल पृष्ठीय संयुक्त दावा फॉर्म(सीसीएफ) लागू किया गया है।
iii) अब सदस्य से आहरण करने के लिए दस्तावेज जैसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा केवल स्व-प्रमाणन ही अपेक्षित है। दावा फॉर्मों पर रसीदी टिकट लगाने की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है।
iv) दावों का समेकित अंतरण सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल(ओटीसीपी) आरंभ किया गया है।
v) अभिदाताओं को समस्त भुगतान राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण(एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।
vi) अभिदाताओं को दावे ऑनलाइन रीति के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया है। अभिदाताओं के लिए ईपीएफओ की सेवाओं का भी समेकन किया गया है तथा इसे भारत सरकार के उमंग (यूएमएएनजी) एप्लीकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

* *****

अनुबंध

"ईपीएफओ द्वारा दावों के शीघ्र निपटान हेतु उपाय" के संबंध में श्री संजय धोत्रे, श्री भर्तृहरि महताब और श्री राहुल शेवाले द्वारा दिनांक 31.12.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3195 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वर्ष के दौरान निपटाए गए भविष्य निधि दावों की संख्या				वर्ष के अंत में लंबित पीएफ दावों की संख्या			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (आदिनांक तक)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (30.11.2018)
1	आंध्र प्रदेश	192720	184795	257965	189499	177	2	450	195
2	असम	32313	28092	43627	40840	83	0	1061	73
3	बिहार	37024	41727	50517	60763	221	0	2	102
4	चण्डीगढ़	96349	80186	106372	95238	78	4	282	8
5	छत्तीसगढ़	56421	56781	66415	55566	2947	0	977	1870
6	दिल्ली	462971	489127	537521	619522	3853	2	9271	174
7	गोवा	39996	32726	48000	36091	721	2	472	0
8	गुजरात (दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव सहित)	427315	423420	547843	540365	2318	4	1109	185
9	हरियाणा	484410	505487	600383	521822	6279	5	18911	4805
10	हिमाचल प्रदेश	53379	54279	59700	61062	87	0	115	108
11	झारखण्ड	61749	55049	76932	72536	125	0	9	0
12	कर्नाटक	759604	842364	992155	882870	1633	2	9060	1106
13	केरल(लक्ष द्वीप सहित)	203820	205519	261927	239885	4319	1	3035	8
14	मध्य प्रदेश	175931	175570	253142	230491	208	0	407	6
15	महाराष्ट्र	1409795	1377222	1680622	1532067	25554	4	15588	8545
16	मेघालय	3868	3583	3459	2859	1	0	7	23
17	ओड़िशा	124209	138378	159746	154168	274	0	83	6
18	पंजाब	151646	146381	208668	164492	994	3	447	2

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वर्ष के दौरान निपटाए गए भविष्य निधि दावों की संख्या				वर्ष के अंत में लंबित पीएफ दावों की संख्या			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (आदिनांक तक)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (30.11.2018)
19	राजस्थान	157278	170922	206105	200915	14	1	444	1
20	तमिलनाडु (पुद्दुचेरी सहित)	806186	858428	1059945	1035784	17225	13	9358	992
21	तेलंगाना	402886	404342	442328	417166	1503	14	5245	121
22	त्रिपुरा	3504	3909	3172	4268	55	0	10	0
23	उत्तर प्रदेश	343882	354751	460446	462413	945	0	1945	214
24	उत्तराखंड	95046	86863	132382	135867	441	0	1687	212
25	पश्चिम बंगाल (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित)	272212	290898	312759	275417	446	1	2419	66
अखिल भारत कुल योग		6854514	7010799	8572131	8031966	70501	58	82394	18822

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4222

सोमवार, 07 जनवरी, 2019/17 पौष, 1940 (शक)

औद्योगिक श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा और सुविधाएं

4222. श्री राम सिंह राठवा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्य कर रहे श्रमिकों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त में से कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है और वे किस प्रकार के व्यवसाय में कार्य कर रहे हो;
(ग) क्या उक्त श्रमिकों के लिए उद्योगों द्वारा आवास, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, पेयजल और शौचालयों की सुविधा प्रदान की गई है; और
(घ) यदि हां, तो उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त सुविधाएं प्रदान की हैं और उनसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने श्रमिकों को लाभ मिला है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2011-12 में रोजगार और बेरोजगारी पर किए गए श्रम कार्यबल सर्वेक्षण के अनुसार यूजुअल स्टेटस आधार पर कुल 47.41 करोड कार्यबल में से देश में स्वनियोजित, नियमित मजदूरी/वेतन भोगी कर्मचारियों और नैमित्तिक श्रमिकों का अंश क्रमश: 52.2%, 17.9% और 29.9% था । राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अलावा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उद्योगों वार्षिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार लगभग 1.86 लाख प्रचालनरत कारखानों में लगभग 1.04 करोड़ कामगार नियोजित थे।

(ग) से (घ): कामगार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 तथा भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कामगार अधिनियम, 1996 जैसे विभिन्न विधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम,1952 के अंतर्गत सन्निर्माण कामगारों को शामिल करने के लिए प्रतिष्ठानों की कवरेज को बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने कई श्रम कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं, जिनमें महिला कामगार की सेवाओं को गर्भावस्था के कारण उसकी अनुपस्थिति में समाप्त नहीं किया जाना शामिल है। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 में संशोधन के अनुसार दो जीवित बच्चों तक 26 सप्ताह का वेतन प्रदत्त प्रसूति लाभ तथा 12 सप्ताह की वेतन प्रदत्त छुट्टी भी दी जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत 3500/-रुपये का चिकित्सा बोनस दिया जा रहा है। धारा 11क को समाविष्ट किए जाने के बाद प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के द्वारा शिशुशाला सुविधा भी दी जाती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में शिशुशाला की सुविधा होगी।

*****

अनुबंध

दिनांक 07.01.2019 को उत्तर देने के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4222 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

2011-12 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में यूजुअल स्टेटस आधार पर स्व-नियोजित, नियमित मजदूरी/वेतन भोगी कर्मचारियों तथा नैमित्तिक श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा।

(प्रतिशत में)

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी		
		स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/वेतन भोगी कर्मचारी	नैमित्तिक श्रमिक	स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/वेतन भोगी कर्मचारी	नैमित्तिक श्रमिक
1	आंध्र प्रदेश	46.7	8.0	45.2	37.6	46.7	15.9
2	अरुणाचल प्रदेश	82.0	12.0	6.0	35.6	53.1	11.2
3	असम	70.0	11.7	18.4	53.8	36.5	9.7
4	बिहार	52.0	4.0	44.0	60.5	22.1	17.4
5	छत्तीसगढ़	58.2	4.1	37.9	35.1	36.2	28.7
6	दिल्ली	19.3	79.8	0.9	34.7	61.4	3.6
7	गोवा	28.3	55.6	16.1	27.9	65.3	6.8
8	गुजरात	57.0	10.3	32.7	41.7	49.5	8.9
9	हरियाणा	61.8	14.0	24.4	40.6	49.4	10.1
10	हिमाचल प्रदेश	71.1	14.1	14.6	30.3	60.6	9.1
11	जम्मू और कश्मीर	63.0	15.3	21.7	48.7	40.9	10.4
12	झारखंड	68.6	4.3	27.3	43.7	38.0	18.3
13	कर्नाटक	52.0	11.8	36.2	39.4	44.9	16.0
14	केरल	38.2	17.8	44.0	36.4	35.8	27.8
15	मध्य प्रदेश	60.0	4.9	35.1	48.3	34.8	16.9
16	महाराष्ट्र	53.7	8.8	37.4	36.2	54.5	9.3
17	मणिपुर	65.8	12.1	22.4	73.0	22.0	5.0
18	मेघालय	71.0	10.2	18.7	35.9	50.0	14.1
19	मिजोरम	82.5	9.3	8.3	52.3	39.8	7.6
20	नागालैंड	85.6	12.9	1.5	42.9	54.0	2.8
21	ओडिशा	62.4	6.7	30.9	51.2	34.6	14.2
22	पंजाब	54.9	17.0	28.3	44.6	47.8	7.6
23	राजस्थान	67.5	6.8	25.5	45.4	38.7	15.6
24	सिक्किम	79.6	15.5	4.9	38.3	58.2	3.8
25	तमिलनाडु	29.9	14.0	55.9	34.4	43.4	22.4
26	त्रिपुरा	41.3	8.0	50.7	39.2	44.5	16.3
27	उत्तराखंड	74.0	11.3	14.7	51.5	40.0	8.9
28	उत्तर प्रदेश	66.9	5.9	26.9	54.6	28.7	17.0
29	पश्चिम बंगाल	46.4	8.7	44.6	45.0	38.0	16.8
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	45.8	39.4	14.8	18.5	58.1	23.3
31	चंडीगढ़	20.3	59.3	20.3	37.3	55.9	7.1
32	दादरा और नागर हवेली	39.1	48.0	12.9	16.3	81.5	2.2
33	दमन और दीव	9.6	88.9	1.4	35.5	53.8	10.7
34	लक्षद्वीप	17.1	41.9	40.7	35.4	42.4	22.2
35	पुडुचेरी	27.0	30.0	42.7	23.7	54.9	21.1
	कुल	55.9	8.8	35.3	42.0	43.4	14.6

स्रोत : एनएसएसओ सर्वेक्षण 2011-12

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4237

सोमवार, 7 जनवरी, 2019/17 पौष, 1940 (शक)

वर्ष 1995 के ईपीएस पेंशनभोगियों हेतु सुविधाएं

4237. श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995 के ईपीएस पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को बेसिक पेंशन के रूप में न्यूनतम 7500 रूपये और महंगाई भत्ता तथा नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को 1995 की ईपीएस पेंशन-भोगियों की सामूहिक मांगों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत 1000/- रूपये प्रति माह तक की पेंशन प्राप्त करने वाले एवं दिल्ली में रहने वाले पेंशनरों (एवं उनके पति/पत्नी) के लिए चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक योजना संबंधी टिप्पणी हितधारकों के साथ परामर्श हेतु परिचालित की गई है।

(घ) से (च): व्यक्ति विशेष ईपीएस, 1995 पेंशनरों तथा पेंशनर संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मांगें उठाई गई हैं:-

(i) न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाना;

(ii) मासिक पेंशन को जीवन लागत सूचकांक से जोड़ना;

(iii) पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की बहाली करना;

(iv) पेंशन के कम्यूटेशन के प्रावधान को पुन: प्रारंभ करना;

(v) पूंजी की वापसी के प्रावधान की बहाली करना;

(vi) मासिक औसत पेंशनयोग्य वेतन की गणना करने के लिए अवधि को 60 माह से घटाकर 12 माह करना;

(vii) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन का भुगतान करना।

उपर्युक्त मुद्दों के साथ-साथ ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त अनुवीक्षण समिति ने रिपोर्ट सौंप दी हैं।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4307

सोमवार, 7 जनवरी, 2019 / 17 पौष, 1940 (शक)

सेवाओं का डिजिटलीकरण

4307. श्रीमती मौसम नूर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि, पेंशन और बीमा में ईपीएफओ लाभार्थियों के दावों के समाधान में तेजी लाने के लिए सेवाओं को डिजिटलीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ द्वारा हाल ही में 117 जिला कार्यालयों को डिजिटली रूप से समेकित करके इनमें "क्लेम रिसिप्ट एंट्री" की ऑनलाइन सुविधा की शुरूआत करके इसके सदस्यों के लिए दावा जमा करने के लिए की जाने वाली लम्बी यात्राओं को कम करने और दावे संबंधी कार्रवाई की स्थिति का पता लगाने के लिए ई-मेल तथा एसएमएस सेवाओं द्वारा अधिसूचना जैसी सहायक सुविधाओं के लक्षित उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) क्या सरकार ने बाधा मुक्त डाटा क्लेक्शन और निष्पादन का समेकन सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ समझौता किया है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) नामक बारह अंक की स्थायी संख्या आबंटित की है। यह यूएएन पिछले भविष्य निधि खातों के समेकन और नियोजन में बदलाव की स्थिति में सुवाह्यता में सहायक होगा।

ii) दावों का समेकित अंतरण सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल(ओटीसीपी) आरंभ किया गया है।

iii) अभिदाताओं को समस्त भुगतान राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं।

iv) अभिदाताओं को दावे ऑनलाइन रीति के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया है। अभिदाताओं के लिए ईपीएफओ की सेवाओं का भी समेकन किया गया है तथा इसे भारत सरकार के उमंग (यूएमएएनजी) एप्लीकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

v) नाम, जन्म तिथि तथा लिंग में सुधार के लिए ईपीएफ अभिदताओं को ऑनलाइन अनुरोध प्रणाली प्रारंभ करना। भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

vi) अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के नामांकन को आसान बनाने के लिए कवरेज प्रमाण-पत्र (सीओसी) को ऑनलाइन तैयार करना।

vii) कामगारों के नामांकन ऑनलाइन रूप से जमा करने के लिए ई-साइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

एक समर्पित पेंशनर पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से पेंशनर अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), पासबुक, पेंशन जमा होने की तारीख तथा जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

(ग): जिला कार्यालयों में "दावा प्राप्ति प्रविष्टि" की ऑनलाइन सुविधा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के अपने निष्पादन का विश्लेषण करने से पूर्व अधिक समय की अपेक्षा रखती है। इसकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(i) इसे एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में तीन जिलों यथा दीमापुर, कचेर तथा पटियाला में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। 02.01.2019 की स्थिति के अनुसार इसका 65 जिला कार्यालयों में विस्तार किया गया है।

(ii) दावा प्राप्ति पर एसएमएस द्वारा अधिसूचना की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(घ): जी, नहीं।

(ङ): प्रश्न के भाग (घ) के उपर्युक्त उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****